Mail

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–।" उत्तराखण्ड़ देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd **E-mail: eicpwduk@nic.in**

पत्रांक– 647/01याता0'क'/2017 दिनांक–06 .09.2017

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता सिविल/रा0मा0/पी0एम0जी0एस0वाई0/
वर्ल्ड बैंक/ए0डी0बी0,पी0आई0यू0
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़/पौड़ी/टिहरी/हल्द्वानी।

SAO
07.09.17

विषयः– **लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नवीन कार्यों की स्वीकृति सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– शासकीय पत्र संख्या–5443/।।।(2)–17–13 (सामा0)/2015 दिनांक–23.07.2015 एवं इस कार्यालय का पत्रांक–633/01याता0क/2015 दिनांक–29.07.2015।

I.T
Net पर डाले
07.09.17

कृपया उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक–23.07.2015 के बिन्दु संख्या–03 में उल्लिखित **"एकल संयोजकता के प्रस्तावों/आगणनों को प्रथमिकता दी जाये तथा मल्टी कनेक्टीविटी को हतोत्साहित किया जाये जब तक कि ऐसा करने हेतु पर्याप्त कारण ना हो। 2.00 किमी0 की लम्बाई तक के मोटर मार्ग एवं 18 मीटर लम्बाई तक के पैदल मार्गों को लोक निर्माण विभाग में प्रस्तावित ना किया जाये तथा इन कार्यों को 'मेरा गांव मेरी सड़क योजना'** में कराये जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया था।"

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन को प्रस्तुत किये जाने वाले आगणनों को तैयार करते समय शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। 2.00 कि0मी0 से कम लम्बाई की सड़कों के आगणन भी शासन को प्रस्तुत किये जा रहे है, जिससे मुख्य संपर्क मार्गों अथवा प्राथमिकता के आधार पर निर्माण की जाने वाली सड़कों का निर्माण नहीं हो पाता है, जिस हेतु शासन द्वारा पुनः अपने शासकीय पत्र संख्या–2186/।।।(2)–17–13 (सामा0) /2015 दिनांक–23.08.2017 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा निर्दिष्ट किया गया है कि उक्त शासनादेश दिनांक–23.07.2015 द्वारा जारी दिशा–निर्देश के उक्त बिन्दु संख्या–03 के साथ–साथ अन्य बिन्दुओं का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अतः इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार प्रकरण पर शासन द्वारा दिये गये यथानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तद्नुसार शासन को आगणन प्रस्तुत करते समय लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नवीन कार्यों की स्वीकृति से सम्बन्धित उपरोक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या–03 के साथ–साथ अन्य बिन्दुओं का भी कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय। इस हेतु अपने अधीनस्थों को कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन आख्या से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नः–पत्रानुसार।

(इं0 एच0के0उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव, लोक निर्माण अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को शासकीय पत्र संख्या–2186 / ।।।(2)–17–13 (सामा0) /2015 दिनांक–23.08.2017 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– समस्त अधीक्षण अभियन्ता., ...वृत्त लोक निर्माण विभाग ..... को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– समस्त अधिशासी अभियन्ता, ... लोक निर्माण विभाग ..... को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–वरिष्ठ स्टाफ आफिसर–।/ ।।, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अधिशासी अभियन्ता, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नः–पत्रानुसार।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

05/9/17

सं0:– / III(2)–17–13(सामा0)/2015

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 23 अगस्त, 2017

विषयः लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नवीन कार्यो की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 5443/III(2)/15–13(सामा0)/2015 दिनांक 23 जुलाई, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन को प्रस्तुत किये जाने वाले आगणनों के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है। शासनादेश के बिन्दु संख्या–03 में उल्लिखित है कि **"एकल संयोजकता के प्रस्तावों/आगणनों को प्राथमिकता दी जाये तथा मल्टी कनेक्टीविटी को हतोत्साहित किया जाये जब तक कि ऐसा करने हेतु पर्याप्त कारण ना हो। 2.00 किमी0 की लम्बाई तक के मोटर मार्ग एवं 18 मीटर लम्बाई तक के पैदल मार्गो को लोक निर्माण विभाग में प्रस्तावित ना किया जाये तथा इन कार्यो को 'मेरा गांव मेरी सड़क योजना' में कराये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाय।"**

2– प्रायः देखा जा रहा है कि शासन को प्रस्तुत किये जाने वाले आगणनों को तैयार करते समय शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। 200 मीटर से कम लम्बाई की सड़कों के आगणन भी शासन को प्रस्तुत किये जा रहे हैं। जिससे मुख्य संपर्क मार्गो अथवा प्राथमिकता के आधार पर निर्माण की जाने वाली सड़कों का निर्माण नहीं हो पाता है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन को आगणन प्रस्तुत करते समय लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नवीन कार्यो की स्वीकृति से सम्बन्धित उपरोक्त शासनादेश के द्वारा जारी दिशा–निर्देश के उक्त बिन्दु संख्या–03 के साथ–साथ अन्य बिन्दुओं का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव।

सं0:– / III(2)–17–13(सामा0)/2015 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास/पंचायती राज/ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
3. लोक निर्माण अनुभाग–3/मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव।

By mail 29.7.15 P.O.

संख्याः– 5443 / III(2) / 15–13(सामान्य) / 2015

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

E(HQ)

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः– 23 जुलाई, 2015

विषयः– लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नवीन कार्यो की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0:– 530 / 01 याता0(क) / 2015 दिनांक 05 मई, 2015 तथा पत्र सं0:– 487 / 01 याता0(क) / 2015 दिनांक 23 अप्रैल, 2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नवीन कार्यो की स्वीकृतियों तथा इस हेतु शासन को प्रस्तुत किये जाने वाले आगणनों के सन्दर्भ में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार एतद्द्वारा निम्नवत् दिशा–निर्देश तत्काल प्रभाव से निर्गत किये जाते हैं:–

(1) नवीन मार्ग निर्माण हेतु प्रेषित किये जाने वाले आगणनों के सम्बन्ध में प्रथमतः यह देख लिया जाय कि जिस ग्राम को सड़क संयोजकता प्रदान की जानी प्रस्तावित है, उस ग्राम की आबादी 250 से ऊपर तो नहीं है तथा पी.एम.जी.एस.वाई. के कोर नेटवर्क में इस प्रस्तावित मार्ग का स्टेटस क्या है? यदि यह मार्ग पूर्व से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन पी.एम.जी.एस.वाई. के कोर नेटवर्क पर जुड़ा दिखाया गया है अथवा कोर नेटवर्क में जुड़ा हुआ नहीं दिखाया गया है, किन्तु पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत भारत सरकार से योजना स्वीकृत नही है तो इसका एलाइमेंट पी0एम0जी0एस0वाई0 के कोर नेटवर्क में रखे गये एलाइमेंट के अनुरूप ही हो, ताकि यदि यह मार्ग प्रथम चरण में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित कराया जाता है और द्वितीय चरण का कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0 में प्रस्तावित किये जाने का निर्णय लिया जाता है तो इसमें कोई कठिनाई न हो।

(2) पुनर्निर्माण हेतु प्रस्तावित कार्यों में यह अवश्य देख लिया जाय कि यह प्रस्तावित कार्य ए0डी0बी0, वर्ल्ड बैंक, नाबार्ड, एस.पी.ए. (आर.) योजना में या अन्य किसी योजना में पूर्व में प्रस्तावित न किया गया हो अन्यथा दुहरी केसी होने की सम्भावना होगी।

(3) एकल संयोजकता के प्रस्तावों / आगणनों को प्राथमिकता दी जाय तथा मल्टी कनेक्टीविटी को हतोत्साहित किया जाय जब तक कि ऐसा करने हेतु पर्याप्त कारण न हो। 02 किमी0 लम्बाई तक के मोटर मार्ग एवं 18 मीटर लम्बाई तक के पैदल मार्गों को लोक निर्माण विभाग में प्रस्तावित न किया जाय तथा इन कार्यों को 'मेरा गांव मेरी सड़क योजना' में कराये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाय।

(4) समस्त पैदल पुल (झूला पुल सहित) 3.25 मी. चौड़ाई में निर्मित किये जॉय, जिसका एक सिरा मोटर मार्ग से यथासम्भव अधिकतम लगभग 02 किमी0 दूर हो ताकि आपदा / विपदा की स्थिति में इस पुल का अस्थाई रूप से हल्के वाहन / आपातकालीन मशीनरी हेतु प्रयोग किया जा सके।

(5) पर्याप्त यातायात दबाव वाले मुख्य मोटर मार्गों को ही हॉटमिक्स प्लान्ट के कार्यों हेतु प्रस्तावित किया जाय। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा मार्ग का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करते हुए कार्य के औचित्य विषयक प्रमाण–पत्र प्रेषित किये जाने वाले आगणन के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। ग्रामीण एवं अन्य स्थानीय मार्गों पर हॉटमिक्स का प्राविधान नहीं रखा जायेगा।

(6) राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए 05 किमी0 से अधिक लम्बाई में मोटर मार्गों को स्वीकृति हेतु प्रस्तावित न किया जाय वरन् अधिक लम्बाई वाले ऐसे मोटर मार्गों को विभिन्न चरणों में स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाय। इससे एक ओर वन भूमि 05 हैक्टेयर से कम की रहेगी तथा दूसरी ओर वनभूमि प्रस्तावों की स्वीकृति राज्य स्तर से ही प्राप्त हो सकेगी।

(7) मार्ग निर्माण में गुणवत्ता के साथ–साथ मार्गों के स्थायित्व हेतु प्रोटेक्शन कार्य, ब्रेस्ट वाल, रोड़ सैफ्टी, ड्रैनेज तथा साइनेज आदि का प्राविधान अवश्य रखा जायेगा।

(8) समस्त आबादी वाले भागों में मार्ग निर्माण हेतु डेढ़ लेन edge to edge ब्लैक टॉप अथवा इन्टरलॉकिंग टाईल्स तथा पक्की नाली निर्माण का प्राविधान अवश्य रखा जायेगा।

(9) नवनिर्मित मोटर मार्गों पर प्रति किमी0 05 स्थानों में पासिंग प्वाइंट का आवश्यकतानुसार प्राविधान रखा जायेगा।

(10) भविष्य में नगर पालिका/नगर पंचायत/नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत, मुख्य मार्गों को छोड़ते हुए, समस्त आन्तरिक मार्गों का निर्माण एवं रख–रखाव का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जायेगा। इन कार्यो को सम्बन्धित नगर पालिका/नगर पंचायत/नगर निगम द्वारा ही कराया जायेगा भले ही पूर्व में कभी लोक निर्माण विभाग द्वारा शासन के निर्देशों पर अथवा डिपोजिट के माध्यम से नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कार्य कराये गये हों।

(11) प्रायः यह देखा जा रहा है कि शासन को प्रेषित किये जाने वाले कतिपय आगणनों के प्रथम पृष्ठ तथा प्रतिवेदन में कार्य का नाम, विकासखण्ड एवं विधानसभा क्षेत्र का नाम भिन्न–भिन्न अंकित किये जा रहे हैं। इससे निर्गत होने वाले शासनादेश में कार्य का नाम/विकासखण्ड/विधानसभा का नाम त्रुटिपूर्ण अंकित हो जाता है। अतः शासन को प्रेषित किये जाने वाले समस्त आगणनों में कार्य का नाम, सम्बन्धित विकासखण्ड/विधानसभा क्षेत्र आदि विवरण का स्पष्ट एवं सही उल्लेख किया जाय। इस हेतु सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

(12) मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से सम्बन्धित प्रत्येक आगणन के प्रथम पृष्ठ पर घोषणा संख्या का सही एवं स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

(13) अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजनान्तर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त आगणनों में यह अवश्य देख लिया जाय कि प्रस्तावित योजना में लक्षित ग्राम (target village) तत्सम्बन्धी मानक अनुसार अनुसूचित जाति बाहुल्य है अथवा नहीं। तद्नुसार सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत आगणन प्रस्तुत किये जायें।

(14) विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षित किये जा रहे आगणनों का गहनता से तकनीकी परीक्षण किया जाय तथा शासन को प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त आगणनों में विभागीय सम्प्रेक्षा प्रकोष्ठ के सदस्यों/अध्यक्ष का स्पष्ट नाम एवं पदनाम की मुहर आवश्यक रूप से लगाई जाय।

2– कृपया भविष्य में उक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या– / III(2)/15–13(सामान्य)/2015 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3– सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
5– सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– समस्त मुख्य अभियन्ता/प्रभारी मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
7– समस्त अधीक्षण अभियन्ता/प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
8– समस्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9– लोक निर्माण अनुभाग–3/मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
10– गार्ड फाईल।

मेब/पृ

आज्ञा से,

पत्रांक 633 /0 याता 8/2015 दिनांक 29.7.15 (अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

प्रतिलिपि अनुसार निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. समस्त मुख्य अभि0 सिविल/ग्रा.नि./PMGSY/USRDP/UEAP/UDRP लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अधी0 अभि0 —— " ——
3. समस्त अधि0 अभि0 —— " ——
4. SSO I/II / समस्त EE's HO office
5. J.E (4)

28/7/15

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून